<u>न्यायालय—व्यवहार न्यायाधीश वर्ग— 1, बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)</u> (समक्ष—डी.एस.मण्डलोई)

उत्तराधिकार प्रकरण क.—19 / 14 संस्थित दिनांक—12 / 5 / 14

श्रीमती मिथिलाबाई उम्र ४० वर्ष पति दामोदर जाति पनिका निवासी डुडवा पांडुतला तहसील बैहर बालाघाट (म.प्र.) <u>आवेदक</u>

- शाखा प्रबंधक सेन्ट्रल बैंक ऑफ ऑफ इंडिया,
 शाखा सिझोरा, तहसील बिझिया, जिला मण्डला (म.प्र.)
- 2. आम् जनता अनावेदगण

आवेदक की ओर श्री दीपक पंचभावे अधिवक्ता। अनावेदकगण पूर्व से एकपक्षीय।

-:: <u>आ दे श</u> ::-

(आज दिनांक-31/10/2014 को पारित किया गया)

- (01) इस आदेश द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन—पत्र अंतर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम का निराकरण किया जा रहा है।
- (02) आवेदिका का आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदिका की बड़ी बहन स्व. कौशलबाई पिता घुरनुदास उर्फ अर्जुनदास की मृत्यु पक्षाघात (लकवा) से दिनांक 11.8.2013 को हो चुकी है। मृतिका कौशलबाई अविवाहित थी तथा अपना संपूर्ण जीवन अविवाहित ही आवेदिका के साथ ग्राम डुडवा पोस्ट पाण्डुतला में रहकर व्यतीत किया। आवेदिका की बड़ी बहन मृतिका कौशलबाई के नाम से सेन्ट्रल बैंक ऑफ ऑफ इंडिया, शाखा सिझोरा में बचत खाता क. 4260(नवीन—2351941477) में फिक्स डिपॉजिट में जमा राशि लगभग 28,000/—रूपये जमा है। उक्त बैंक खाते में मृतिका एवं उसकी बहन आवेदिका मिथिलाबाई दोनों पैसे जमा करते तथा विनिमय करते थे। मृतिका अविवाहित, निर्वसीयती, निसंतान मृत हो चुकी है तथा मृतिका के समस्त शासकीय दस्तावेजों में पिता का नाम घुरनुदास उर्फ

अर्जुनदास इंद्राज चला आ रहा है। इस प्रकार आवेदिका, मृतिका कौशलबाई की हिंदू विधि के प्रावधान अंतर्गत वरियता क. 4 के अंतर्गत उत्तराधिकारी है। दिनांक 23.11.2013 को जब आवेदिका द्वारा सेन्द्रल बैंक ऑफ ऑफ इंडिया, शाखा सिझोरा में राशि प्राप्त करने गई तो बैंक द्वारा राशि प्रदान कर माननीय न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की मांग की गई। आवेदिका को राशि प्राप्त करने हेतु उत्तराधिकारी प्रमाण—पत्र प्रदान किया जाये। आवेदिका ने स्वयं का शपथ पत्र एवं फेहिरस्त अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत किये है।

(03) अनावेदकगण शाखा प्रबंधक सिझोरा एवं सर्वसाधारण पर विज्ञाप्ति का प्रकाशन होने के उपरान्त दिनांक—24.09.2014 को अनावेदकगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुए है। अतः अनावेदकगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

(04) <u>विचारणीय प्रश्न यह है कि</u>:-

क्या आवेदिका स्व. कौशलबाई के सेन्ट्रल बैंक शाखा ऑफ इंडिया, शाखा सिझोरा में खाता क्रमांक 4260(नवीन—2351941477) में फिक्स डिपॉजिट में जमा राशि लगभग 28,000 / —रूपये के संबंध में उत्तराधिकार प्रमाण—पत्र प्राप्त करने की अधिकारी है ?

—: <u>निष्कर्ष के आधार पर</u> :—

(05) मिथिलाबाई (आ.सा. 1) के अभिवचन है कि उसकी बड़ी बहन स्व. कौशलबाई पिता घुरनुदास उर्फ अर्जुनदास की मृत्यु लकवा ग्रस्त होने से दिनांक 11.8.2013 को हो चुकी है। कौशलबाई अविवाहित थी तथा अपना संपूर्ण जीवन अविवाहित व्यतीत की तथा उसके साथ ग्राम डुडवा में ही रहकर व्यतीत की। कौशलाबाई के नाम से सेन्ट्रल बैंक शाखा ऑफ इंडिया, शाखा सिझोरा में बचत खाता कमांक-4260(नवीन-2351941477) में फिक्स डिपॉजिट में लगभग 28,000 / —रूपये जमा है। उक्त बैंक खाते में कौशलबाई एवं मिथिलाबाई पैसे जमा करते थे। स्व. कौशलबाई अविवाहित एवं निर्वसीयत, निसंतान मृत हो चुकी है। मृतिका के शासकीय दस्तावेजों में पिता का नाम घुरनुदास उर्फ अर्जुनदास इंद्राज है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत निर्वसीयत मृत हिंदू व्यक्ति की संपत्ति पिता के वारसानों को न्यायगत हो जाती है। हिंदू विधि के प्रावधान अंतर्गत वरीयता क. 4 के अंतर्गत

उत्तराधिकार प्रकरण क.-19/14

कौशलबाई के निर्वसीयती एवं निसंतान फ़ौत होने से आवेदिका एकमात्र उत्तराधिकारी है। आवेदिका ने अपने पक्ष समर्थन में मृतिका कौशलबाई का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श पी—1, ग्राम पंचायत हटटा के सरपंच—सचिव द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रदर्श पी—2, मृतिका कौशलाबाई का भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र प्रदर्श पी—3, आवेदिका मिथिलाबाई का भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र प्रदर्श पी—4, मृतिका कौशल्याबाई का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा सिझोरा का बचत खाता क्रमांक—4260(नवीन—2351941477) की पासबुक प्रदर्श पी—5, मृतिका कौशलाबाई का राशन कार्ड प्रदर्श पी—6, आवेदिका मिथिलाबाई के बचत खाता का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा सिझोरा का विवरण प्रदर्श पी—7 पेश किये है।

- (06) मिथिलाबाई (आ.सा. 1) के अभिवचन का समर्थन करते हुए नन्हुबाई (आ.सा. 2), गोमतीबाई (आ.सा. 3), लिक्खनिसंह (आ.सा. 4) के भी अभिवचन है कि आवेदिका की बड़ी बहन स्व. कौशलबाई की मृत्यु लकवा से होने से दिनांक 11.8.2013 को हो चुकी है। कौशलबाई अपना संपूर्ण जीवन अविवाहित आवेदिका के साथ ग्राम डुडवा में रहकर व्यतीत की। कौशलबाई के नाम से सेन्ट्रल बैंक शाखा ऑफ इंडिया, शाखा सिझोरा में बचत खाता कमांक—4260(नवीन—2351941477) में फिक्स डिपॉजिट में लगभग 28,000 / —रूपये जमा है। स्व. कौशलबाई अविवाहित एवं निर्वसीयत, निसंतान मृत हो चुकी है। हिंदू विधि के प्रावधान अंतर्गत वरीयता क. 4 के अंतर्गत कौशलबाई के निर्वसीयती एवं निसंतान फौत होने से आवेदिका एकमात्र उत्तराधिकारी है।
- (07) आवेदिका द्वारा प्रस्तुत कौशल पिता घुरनुदास का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श पी—1 तथा सरपंच—सचिव ग्राम पंचायत हटटा जनपद पंचायत बैहर द्वारा जारी प्रमाण पत्र से दर्शित होता है कि कौशलबाई की दिनांक 11.8.2013 को अविवाहित, बिना औलाद फौत हो चुकी है। कौशलबाई का पहचान पत्र प्रदर्श पी—3 तथा कौशलबाई तथा आवेदिका का राशनकार्ड प्रदर्श पी—4 से यह भी दर्शित होता है कि मृतिका कौशलबाई एवं आवेदिका एक ही परिवार के सदस्य होकर, मृतिका कौशलबाई आवेदिका के साथ रहती थी। शाखा प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक शाखा ऑफ इंडिया, शाखा सिझोरा द्वारा जारी पत्र अनुसार मृतिका कौशलबाई के बचत खाता क्रमांक—2351941477 में 28,420/— (अठ्ठाइस हजार चार सौ बीस रूपये) राशि शेष जमा है।

- आवेदिका की अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं दस्तावेजों का खंडन अनावेदकगण (80)के एकपक्षीय रहने से नहीं किया जा सका है। ऐसी स्थिति में अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं दस्तावेजों पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं है। जिससे यह प्रमाणित होता है कि आवेदिका स्व. कौशलबाई की सेन्ट्रल बैंक शाखा ऑफ इंडिया, शाखा सिझोरा में जमा राशि के संबंध में उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की अधिकारी है। फलतः आवेदिका की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा-372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम स्वीकार कर स्वीकार किया जाता है तथा आदेशित किया जाता है कि आवेदिका द्वारा स्व. कौशलबाई पिता घुरनुदास उर्फ अर्जुनदास की मृत्यु उपरांत सेन्ट्रल बैंक शाखा ऑफ इंडिया, शाखा सिझोरा में खाता क्रमांक 4260 (नवीन-2351941477) में फिक्स डिपॉजिट में जमा राशि 28,420 🖊 (अठ्ठाइस हजार चार सौ बीस रूपये) प्राप्त करने हेतु विधिवत स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किए जाने पर, आवेदिका के पक्ष में निम्न शर्त के अधीन उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी किया जावें :-
- आवेदिका मिथिलाबाई मृतिका कौशलबाई की वैध उत्तराधिकारी है 📈 (1.)
- आवेदिका मृतिका स्व. कौशलाबाई पिता घुरनुदास उर्फ अर्जुनदास की मृत्यु (2.) उपरांत सेन्ट्रल बैंक शाखा ऑफ इंडिया, शाखा सिझोरा में खाता क्रमांक 4260 (नवीन–2351941477) में फिक्स डिपॉजिट में जमा राशि 28,420 / –(अठ्ठाइस हजार चार सौ बीस रूपये) मय लाभांश प्राप्त करेगी।

आदेश हस्ताक्षरित, दिनांकित कर खुले न्यायालय में पारित किया गया । मेरे उद्बोधन पर टंकित किया गया ।

्डा.एस.मण्डलोई) व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग—1, बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

(डी.एस.मण्डलोई) व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)